देशके ४० करोड आत्यंतिक पिछडे हुए वर्गों की समस्याएँ अभी तक नजर अंदाज की गई है।

यदि हमारे देशमें समानता लानी है, अमीर और गरीबों के बीचमें पैदा हुई खाई को मिटाना है, तो अन्य पिछडे हुए वर्ग (ओबीसी) और ओबीसी वर्गों में से आत्यंतिक पिछड़े हुए वर्गों का जीने का स्तर बढाना होगा, उनकी जिंदगीमें सुधार लाना पडेगा और उसके लिए खास कोशीश करनी पडेगी, क्योंकी भारत में ओबीसी की तादाद ६५ करोड है। भारत सरकारने मंडल आयोग के माध्यमसे पिछड़े हुए वर्गों को नौकरी और शिक्षामें सिर्फ २७% आरक्षण दिया है, किन्तु उसका लाभ पिछडे हुए वर्गोंमें से सिर्फ कुछ चुने हुए जातियों को मिला। विमुक्त घुमंतू, बाराबलुतेदार और आत्यंतिक पिछडी हुई जातियाँ, जैसे तेली, माली, कोली (धीवर), गोवारी, धनगर, नाई, सुतार, लुहार, कुम्हार, वाडी-खाती, शिंपी यह सब आरक्षण से वंचित रह गए है। आरक्षण के जनक शाहू महाराज और संविधान के निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इन्होंने आरक्षण की नीती पर अंमल किया। उस समय उन्होंने कहाँ ''यदि दो घोडों को, जिनमें एक तगडा और एक दुबला है, एकही टोकरी में चने खाने को दिए, तो तगडा घोडा सब चने खाँ जाएगा और दुबले घोडे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा।''

यही बात अन्य पिछडे हुए वर्गोंके आरक्षण के बारे में हो रही है। केंद्रीय २७% आरक्षण थोडी जातियाँ, जिनकी संख्या हाथके उंगलियों पर गिनी जा सकती है – ऐंठ रही है। यह बात यू.पी.एस.सी. (केंद्रीय जन सेवा आयोग), एम.पी.एस.सी. (महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोग), बँकों के कर्मचारीयों का चयन, रेल्वे कर्मचारीयों का चयन, आयकर विभाग के कर्मचारीयों का चयन तथा अन्य केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के कर्मचारीयों के चयन में दिखाई देती है। इसलिए केंद्रीय आरक्षण का विभाजन राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग (न्यायमूर्ती ईश्वरैया आयोग) के सिफारिसों के अनुसार करना आवश्यक है।

आरक्षण के बारे में बडी विचित्र और पेचिदा स्थिती उत्पन्न हो गई है। एक जाती एक राज्य में अनुसूचित जनजाती (शेड्युल्ड ट्राईब्ज) करके वर्गीकृत हो गयी है, और वही जाती दुसरे राज्य में अन्य पिछडे वर्ग और तिसरे राज्यमें विमुक्त घुमंतू करके वर्गीकृत हो गयी है। उदाहरण के तौर पर देखें – बंजारा, धनगर, कोली (धीवर), वडार (पत्थर फोडनेवाले), भोई, धोबी, गोवारी, गवळी (ग्वाले),

निषाद, पाल, गडरिया, बघेल इन समाजोंको कही अनुसूचित जाती (शेड्युल्ड कास्ट), कहीं अनुसूचित जनजाती (शेड्युल्ड ट्राईब्ज), कहीं अन्य पिछडी हुए वर्ग (ओबीसी), कहीं विमुक्त घुमंतू जातीयाँ (डीनोटीफाईड ट्राईब्ज) ऐसा आरक्षण दिया है। इन समाज के लोगों को लगता है की पूरे देशमें वह सब एकही प्रवर्ग में रहना चाहिए। किन्तु संविधान में ऐसा प्रावधान है की यदि एकाध जाती को अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाती में शामिल करना है तो संबंधित राज्य ने ऐसा प्रस्ताव करना चाहिए और ऐसी सिफारिस केंद्र को करनी चाहिए। केंद्रने यह सिफारिस की आर.जी.आय. तथा अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती आयोग से परीक्षा करवाके संसद में यह विधेयक पेश करना चाहिए और पारित करना चाहिए। किन्तु हमारा ऐसा अनुभव है की संसद में बैठे हुए उसी प्रवर्ग के सांसद यह विधेयक पारित नहीं होने देते, उसमें बाधा डालते है। इसलिए ऐसा लगता है की सरकारके पास एकही उपाय है की आरक्षण की नीती का सब तरह से पूरी सोच करके अन्य पिछडे वर्गों के आरक्षण का विभाजन करना।

अन्य पिछडे वर्ग के नेता गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी, पक्षाध्यक्ष (भारतीय जनता पार्टी) व्यंकय्याजी नायडू, भाजपा नेता नितिन गडकरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके विमुक्त घुमंतू कल्याण योजना के प्रमुख और विद्यमान राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू आयोग के अध्यक्ष दादा इदाते इन सबको यह अन्य पिछडे वर्ग के आरक्षण के विभाजन की संकल्पना मंजूर थी। इसलिए २० जनवरी २००४ को पंढरपूर में धनगर समाज के मामले में तत्कालिन प्रधानमंत्री श्री. अटलबिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू आयोग का ऐलान किया, किन्तु दुर्भाग्यवश २००४ में भाजपा की सरकार गिर गयी, पर भाग्यवश में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गया। मैनें संसद में सैकडो बार यह सवाल उपस्थित किया और इस उद्देश्य के लिए और संविधान में बदलाव करने के लिए संसदमें एक निजी विधेयक प्रस्तावित किया था। इस दरमियाँ यह विषय भारतीय जनता पार्टी के विषयसूची पर रामभाऊ म्हाळजी प्रबोधिनी में चर्चा और विचारविमर्ष के लिए आया। इसके लिए मा.गोपीनाथ मुंडेजी और प्रमोदजी महाजन इनके प्रयत्न और दूरदृष्टी का बहुत उपयोग हुआ। इस प्रबोधिनी में ‘‘सामाजिक समरसता और विमुक्त घुमंतू’’ इस विषय

पर गोष्ठी आयोजित की गयी और उसमें हिस्सा लेकर एक घंटा बोलने का मुझे अवसर दिया गया। इस गोष्ठीमें आमंत्रित लोगों में छह राज्यों के सामाजिक न्यायमंत्री और दो राज्यके मुख्यमंत्री उपस्थित थे। एक थे मध्यप्रदेश के शिवराजसिंह चौहान और दुसरे थे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री. नरेंद्र मोदीजी जो आज भारत के प्रधानमंत्री है। यह सब मेरे सामने बैठे थे और यह विषय मैनें उन्हे समझाया। अन्य पिछडे वर्गो के विभाजन की लडाई मैं पिछले बीस बरस से लड रहा हूँ। शुरु में सिर्फ बंजारा समाज, बादमें विमुक्त घुमंतू समाज और अभी बाराबलुतेदार और आत्यंतिक पिछडे वर्ग इनके लिए मैं यह लडाई लड रहा हूँ। यह अवसर मुझे राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ती ईश्वरैयाजी ने दिया।

१९९० दे दशक में मंडल आयोग के एक सदस्य श्री. एल.आर. नाईक ने अपने सहमती टिप्पणी में ऐसा लिखा है की, ५२% अन्य पिछडे वर्गों को (ओबीसी) अविभक्त २७% आरक्षण देनेके बजाय विभाजित करने देना चाहिए। श्री. एल.आर. नाईक जी का ऐसा कहना था की पिछडे हुए वर्गोंका विभाजन १) आत्यंतिक पिछडे हुए वर्ग और २) अन्य पिछडे हुए वर्ग ऐसे दो प्रवर्गों में करने चाहिए। मंडल आयोगपर अंमल करते समय तत्कालिन प्रधानमंत्री श्री. व्ही.पी. सिंगजी ने ऐसा ऐलान किया था कि आर्थिक दृष्टी से पिछडे हुए लोगो को १०% आरक्षण दिया जाएगा, किन्तु इसके खिलाफ इंद्रा सहानी और अन्य लोगों ने सर्वोच्च न्यायालयमें याचिका दायर की। उनका कहना था कि ऐसा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों के खंडपीठ ने की और आर्थिक दृष्टी से दुर्बल वर्गों को दिया हुआ १०% आरक्षण खारिज किया। इस निर्णयमें सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कही कि यदि अन्य पिछडे वर्गों को दिया हुआ २७% आरक्षण दो या तीन प्रवर्गों में विभाजित करके दिया तो अन्य पिछडे वर्गों के सब जातियों का न्याय मिलेगा और यह बात वैधानिक दृष्टीसे उचित रहेगी। किन्तु सरकारने और जनताने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आरक्षण की यह पेचिदा समस्या सुलझाने के लिए अभ्यास करते हुए मै यह समझ गया कि जिस तरह से महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश इन दो राज्योंने विमुक्त घुमंतूओं को आरक्षण दिया है और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर अंमल किया है उसी तरह से यदि केंद्र सरकारने किया तो जो जातियाँ जनजातीयाँ केंद्रीय

आरक्षण के लिए लड रही है, उनकी समस्या का हल होगा। उन्हें सामाजिक न्याय दिया जा सकता है। इसलिए केंद्र सरकारने महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की तरह से, श्री. एल.आर.नाईकजी के सुझाव की तरह से, सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के तरह से और हालही में राष्ट्रीय पिछडे वर्ग के आयोग ने जो सुझाव किया है, उसके तरह से यदि अन्य पिछडे वर्गों के २७% आरक्षण का विभाजन करके (अ) विमुक्त घुमंतू (ब) बाराबलुतेदार और आत्यंतिक पिछडे हुए और (क) केंद्रीय सूची के बचे हुए अन्य पिछडे हुए ऐसा वर्गीकरण किया तो निश्चित तौरपर संविधान की धारा १५(४) और १६(४) जो सामाजिक न्याय और समानता लाने के लिए प्रावधान करता है, उनका अनुपालन होगा और सामाजिक न्याय का नया दौर शुरु होगा। मैने मेरा यह विचार श्री. गोपीनाथ मुंडेजी और श्री. प्रमोद महाजनजी को बताया और उन्हे समझाया। इन दोनों महान नेताओं ने यह विचार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके अधिकारीयों को समझाया। इसकी वजह से दल और संघटन इन दोनों स्तर पर इस बारें में सहमती हुई और अन्य पिछडे वर्गों के विभाजन की प्रक्रिया सच्चे अर्थमें शुरु हुई। अभी यदि सोया हुआ समाज जाग उठा तो यह सामाजिक न्याय की लडाई सफल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उच्चकुलिन और अभिजात समाज इन दबे हुए जनजातीयों को आगे नहीं आने देगा, प्रगत नहीं होने देगा और यह ‘‘सामाजिक उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार’’ ऐसा ही चालू रहेगा, संविधान में बतायी हुई समानता नहीं आयेगी और अमीर-गरीब इन वर्गों में जो जो खाई पैदा हुई है वह कभी नहीं मिटेगी। क्योंकी देशमें जो ४० करोड आत्यंतिक पिछडे हुए लोग है, उनकी समस्याएँ वैसी की वैसी ही नजरअंदाज और दुर्लक्षित रहेगी।

हरिभाऊ राठोड
पूर्व सांसद और विद्यमान विधायक
ए-२०१, बंजारा हिल्स, नाहूर व्हिलेज रोड,
मुलुंड (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८०.
मोबाईल नं. ९९२०७ १६९९९
फोन नं. २५६८ ६६९९